कार्यालय नगर पालिका परिषद बहराइच

स0-331/ रा0वि0आ0-पा0नि0 / नि0का0 / टेण्डर / 2023-24

दिनांक 09 अगस्त, 2023

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2022-23 / 2023-24 में निर्माण कार्यो हेतु समस्त विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मो (जिनके हैसियत / चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर के हों) को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग / पालिका निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो मे से निम्नलिखित 01 निर्माण कार्य हेतु दिनांक 19.08.2023 को अपरान्ह 4:00 बजे तक सीलबन्द निविदायें नगरपालिका परिषद बहराइच के निर्माण अनुभाग में आमन्त्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 4:30 बजे सहायक अभियनता (सिविल) एव अधिशासी अधिकारी द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष निविदायें खोली जायेंगी। निविदा के साथ 2% धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 / टी0डी0आर0 / सी0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी के पद नाम से बन्धक हो, जमा करना होगा। निविदा फार्म नगरपालिका परिषद बहराइच के निर्माण अनुभाग से निर्धारित मूल्य जमा करके दिनांक 18.08.2023 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त सभी निविदाओं अथवा न्यूनतम निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदया को होगा। सशर्त निविदायें स्वीकार नही की जायेगी। अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्राप्त होने या खोलने की तिथि पर कार्यालय बन्द रहता है, तो निविदा प्राप्त होने या खोलने की कार्यवाही अगले कार्यालय दिवस में की जायेगी। स्थान व समय तथा निविदा की बैधता अवधि पूर्ववत् रहेगी। सम्बधित निविदा सूचना नगरपालिका परिषद, बहराइच की वेब साइट -WWW.bahraichnpp.in पर उपलब्ध है।

क्र0 स0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	2 प्रतिशत धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	जीएसटी 18 %	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य समाप्त करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मो0 चांदमारी में गावट मन्दिर कें पास अनिरूद्ध के मकान से विनोद के मकान तक नाली निर्माण का कार्य।	255934.00	5150.00	275.00	50.00	325.00	एक माह

शर्ते-

1- निविदा के सील बन्द लिफाफे पर निविदा कार्य संख्या एंव कार्य का नाम अंकित करना होगा।

2- सील बन्द निविदायें नगरपालिका परिषद, बहराइच, के निर्माण अनुभाग में रखे निविदा बाक्स में दिनांक 19.08.2023 को अपरान्ह 4:00 बजे तक ही निविदायें डाली जायेगी, जो उसी दिन अपरान्ह 4:30 बजे सहायक अभियन्ता (सिविल) एंव अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

3- टेण्डर के साथ प्रत्येक कार्य हेतु 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 / टी0डी0आर0 / सी0डी0आर0 / एन0एस0सी0 संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा की स्वीकृति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

4- अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा की बिकी एंव प्राप्त होने तथा खोलने की तिथि पर किसी कारणवश कार्यालय बन्द रहता है, तो निविदा बिकी एंव प्राप्त होने तथा खोलने की कार्यवाही अगले कार्यालय दिवस में की जायेगी। स्थान व समय तथा निविदा की बैधता अवधि पूर्ववत् रहेगी।

5- निविदा स्वीकृत / कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात ठेकेदार / फर्म द्वारा कार्य स्थल पर लगाये जाने वाले श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में एक सप्ताह के भीतर कराकर पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

6- कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान व कार्य पूर्ण होने पर अलग-अलग फोटो ग्राफ देना होगा एंव कार्य प्रारम्भ से पहले स्थल पर साइन बोर्ड ठेकेदार को लगाना होगा।

7- निविदा स्वीकृत उपरान्त कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ की सूचना अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता को लिखित रूप में ठेकेदार को देना होगा। तदुपरान्त अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

8- कार्य स्थल पर सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो ठेकेदार को तत्काल अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य को मानक के अनुरूप पूर्ण कराना होगा अन्यथा कराये गये कार्य का भुगतान नही किया जायेगा।

9- नगरपालिका परिषद, बहराइच में पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मो के अतिरिक्त अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदार / फर्मो को टेण्डर फार्म कय करने के समय विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ में प्रस्तुत करनी होगी।

10- प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता (नगरपालिका परिषद बहराइच के पंजीकृत ठेकेदार /फर्म को छोडकर) को अनुबन्ध से पूर्व नगरपालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा तदोपरान्त नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

11- उक्त कार्य हेतु तीन-तीन निविदायें प्राप्त होने पर ही निविदा की स्वीकृति पर पर विचार किया जायेगा।

12– प्राप्त किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष महोदया नगरपालिका परिषद, बहराइच को होगा। इस सम्बंध में किसी का दावा स्वीकार नही होगा।

13– निर्माण कार्यो के स्वीकृत आगणन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित है। जिसका भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

14– निविदादाता के हैंसियत/चरित्र प्रमाण पत्र की समयावधि निर्धारित समय के अन्दर की होनी चाहिए। चरित्र/हैंसियत प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो जाने वाले ठेकेदारों/फर्मो की निविदायें स्वीकार नही होंगी।

15– उपरोक्त समस्त शर्तो का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा की स्वीकृति पर विचार नही किया जायेगा।

16– उक्त निविदा सूचना में अंकित निविदा की धनराशि में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित नही है जिसका भुगतान नियमानुसार बिल की धनराशि में सम्मिलित करते हुए किया जायेगा।

Psingh
(प्रमिता सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

Sudha devi
(सुधा देवी)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

पृ0स0 एवं दिनांक– उपरोक्त

प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रभारी अधिकारी महोदय स्थानीय निकाय बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।
3– नगर पालिका परिषद बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

11-08-23

Psingh
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
बहराइच।